



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
18 संस्थागत क्षेत्र, सहीद जीव सिंह मार्ग, नई दिल्ली
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
An Autonomous Body Under Ministry of Education, Govt. of India
मुख्यालय, नई दिल्ली / Head Quarters, New Delhi
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi-110016.
Tel.: 26858570 Fax 26514179
Website: www.kvsangathan.nic.in

फा.11011/6-5/के.वि.सं(मु0)/जसूप 23782

दिनांक 13/07/2026

कार्यालय आदेश

Sub:-Implementation of suomotu disclosure under Section 4 of Right to information (RTI) Act, 2005- compliance-reg.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत स्वप्रेरणा से प्रकटीकरण के तहत अक्सर मांगी गई जानकारी की पहचान करने के लिए समिति का गठन केविसं(मु.), नई दिल्ली के स्तर पर किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	प्रथम अपीलीय अधिकारी /जन सूचना अधिकारी
1.	श्री दीपेश गहलोत	अपर आयुक्त(प्रशासन)	प्रथम अपीलीय अधिकारी
2.	श्री सत्य नारायण गुलिया	संयुक्त आयुक्त(वित्त)	प्रथम अपीलीय अधिकारी
3.	श्री सोमित श्रीवास्तव	संयुक्त आयुक्त(शैक्षिक)	प्रथम अपीलीय अधिकारी
4.	श्री नगेन्द्र गोयल	संयुक्त आयुक्त(कार्मिक)	प्रथम अपीलीय अधिकारी
5.	सुश्री पी. बी. एस. ऊषा	संयुक्त आयुक्त(प्रशिक्षण)	प्रथम अपीलीय अधिकारी
6.	श्री डाकेश्वर प्रसाद पटेल	उपायुक्त(शैक्षिक II)	जन सूचना अधिकारी
7.	श्री विनोद कुमार	उपायुक्त(शैक्षिक I)	जन सूचना अधिकारी
8.	श्री अमर पाल सिंह बराड़	सहायक आयुक्त(स्था. I)	जन सूचना अधिकारी
9.	श्री सौरभ जेटली	सहायक आयुक्त(स्था.II/III)	जन सूचना अधिकारी
10.	श्री लाल बहादुर शर्मा	सहायक आयुक्त(सतर्कता)	जन सूचना अधिकारी
11.	श्री अभिषेक शर्मा	सहायक आयुक्त(प्रशा.) (भर्ती, पदोन्नति एवं वरिष्ठता अनुभाग)	जन सूचना अधिकारी
12.	श्री प्रवीण कुमार	सहायक आयुक्त(प्रशा.) (विधि एवं समन्वय)	जन सूचना अधिकारी
13.	श्री ओमवीर सिंह श्योरान	सहायक आयुक्त (वित्त)	जन सूचना अधिकारी
14.	श्रीमती सुखराज कौर	सहायक आयुक्त (वित्त)	जन सूचना अधिकारी
15.	श्री अमित अवस्थी	अधिशायी अभियन्ता	जन सूचना अधिकारी

उपरोक्त समिति अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। तथा उपरोक्त अधिकारियों के दौरे पर होने या किसी अन्य कारणवश कार्यालय में अनुपस्थिति की स्थिति में संबंधित लिंक अधिकारी द्वारा उपरोक्त कार्य का निष्पादन किया जाएगा।

यह आदेश सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया गया है।

lain
13/07/2026
(नीलम)

संयुक्त आयुक्त(प्रशा.) एवं
नोडल अधिकारी/जसूप

प्रतिलिपि:

- (1.) निजी सचिव, आयुक्त, केविसं(मु.), नई दिल्ली को सूचनार्थ।
- (2.) निजी सचिव, अपर आयुक्त(प्रशा.), केविसं(मु.), नई दिल्ली को सूचनार्थ।
- (3.) केविसं(मु.), नई दिल्ली के उपरोक्त सभी अधिकारियों को सूचनार्थ।
- (4.) सहायक आयुक्त(आईटी)(श्री मनोज कुमार पाण्डेय), केविसं(मु.), नई दिल्ली को उपरोक्त आदेश केविसं(मु.), नई दिल्ली की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।